

संख्या- 039 /15-7- 05 -16 10 /2004

प्रेषक,

श्रीम. प्रकाश कुमार,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ।

सेवा में,

श्रीम. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
श्रीम. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
श्रीम. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
श्रीम. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

विधा 17 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त, 2005

विषय:-

श्रीम. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को श्रीम. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को श्रीम. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबंधित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वालिजेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबंधित प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिरोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से एवं वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का 'रिजर्व' निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृतों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूर्ण या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

श्रीमान प्रमुख :
श्रीमान अधिकारी :

पू०सं० एवं दिनांक तैय

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~मथुरा~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~मथुरा~~ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~श्रीमान प्रमुख पंजीकृत मथुरा~~ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा में,

श्रीमान प्रमुख :
श्रीमान अधिकारी :